

सचिव, छ.ग.शासन, स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग, मंत्रा. महानदी भवन, नवा रायपुर
आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
महानिरीक्षक (पुलिस), बिलासपुर जोन, बिलासपुर
—की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
अग्रेषित। कृपया कोविड-19 के संबंध में समुचित सुरक्षा व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़

अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.) रायगढ़

आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), रायगढ़


जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, रायगढ़

उप संचालक जनसंपर्क जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

तहसीलदार, रायगढ़

—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सर्व संबंधित -----की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।


अपर कलेक्टर
एवं अपर जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

- 4- प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जावेगी।
- 5- जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं की जावेगी।
- (B) कंटेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार दायित्व सौंपा जाता है :-

गतिविधियां	प्रभारी अधिकारी का पदनाम
कानून/पुलिस व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने आवश्यक पुलिस व्यवस्था	1-श्री युगल किशोर उर्वशा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायगढ़ मो. नं. 91657-22700 2-श्री अविनाश सिंह ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ मो. नं. 99261-27870, 94791-93202
केवल 01 प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग	श्री के. पी. राठौर, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) रायगढ़ मो.नं. 98271-84404
कंटेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन व्यवस्था	श्री आशुतोष कुमार पाण्डेय, आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ मो.नं. 77738-08088
घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम के एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन।	डॉ. राकेश वर्मा, कार्यक्रम प्रबंधक, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक, रायगढ़ मो.नं. 62684-58967
उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु	श्री आशुतोष कुमार पाण्डेय, आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ मो.नं. 77738-08088
कंटेनमेंट जोन अंतर्गत आरोग्य सेतु एप्प का शत प्रतिशत कवरेज	श्री अनुपेन्द्र प्रधान, ई.डी.एम. रायगढ़ मो.नं. 77708-00709

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अपर कलेक्टर
एवं अपर जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / 14164 -ए/ न्या.लि./ कोरोना सेल / 2020

रायगढ़, दिनांक 21 / 10 / 20

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य सचिव, छ0ग0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
- 2- सचिव, छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
- 3- सचिव, छ0ग0शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक / 14164 / न्या.लि. / कोरोना रोल / 2020

रायगढ़, दिनांक 21 / 10 / 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक / 40-3 / 2020- DM-I(A) दिनांक 30.05.2020 तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं मार्गदर्शक मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के परिपालन में जिला रायगढ़ के रायगढ़ नगरीय क्षेत्र अंतर्गत 09 व्यक्ति के कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमित पाये जाने के कारण निम्नांकित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है:-

क्र.	ग्राम/क्षेत्र का नाम	संक्रमित की संख्या	कंटेनमेंट जोन	बफर जोन
1	मोदी नगर कालोनी वार्ड नं. 24 बेलादुला	02	मोदी नगर कालोनी में ब्लॉक "एस" व "आई"	--
2	वार्ड नं. 44 पतरापाली	01	ब्लड बैंक से स्टेट बैंक एटीएम तक	--
3	वार्ड नं. 44 पतरापाली	05	रत्थूराम के मकान से कृष्णचंद के मकान तक एवं पदुम चौहान के मकान से नरसिंह के मकान तक	--
4	वार्ड नं. 44 पतरापाली	01	तेजराम पटेल दुकान से प्रवीण गुप्ता दुकान तक	--

(A) कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-

- 1- अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
- 2- उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
- 3- कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है उसके लिये पृथक से इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किये जायेंगे।